न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 28 / 2018 / अपील / आर्म्स एक्ट / बूंदी

दायरा दिनांक: 28.9.2018

अन्तर्गत धारा: 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

बाबूलाल आत्मज हीरालाल जाति गूजर निवासी ग्राम अजेता थाना गेण्डोली जिला बूंदी–राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये उप खण्डा मजिस्ट्रेट, बूंदी ।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रामरतन मीणा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 6.1.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश क्रमांक / न्याय / 2017 / 3003–7 दिनांक 10.10.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 2494 बन्दूक सं0 7581 टोपीदार गन वैधता अवधि दिनांक 31.12.2016 को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट क्रमांक 6962 दिनांक 11.8.2017 के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध दर्ज प्रकरण सं0 47 / 12 धारा 452, 354, 504, 34 आईपीसी मे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.7.2012 को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त करने तथा मुक0 नं0 124 / 15 धारा 341, 323, 325, 34 आईपीसी मे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 9.9.2016 को राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त करने से तत्काल प्रभाव से जेरअपील आदेश क्रमांक / न्याय / 2017 / 3003–7 दिनांक 10.10.2017 से निलम्बित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण मे न्यायालय द्वारा बरी किया जा चुका है अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है उक्त तथ्य जवाब मे पेश कर दिये थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे तथा शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के आदेश प्रदान किये जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रकरण 47 / 12 मे न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाकर बरी किया जा चुका है अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है उक्त तथ्य जवाब मे पेश कर दिये थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे तथा शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के आदेश प्रदान किये जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे प्रकट किया कि जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंसा नही किये जाने से निलम्बित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का तथा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का रेस्पो0 राजकीय अधिवक्ता द्वारा खण्डन नही किया गया तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 2494 बन्दूक सं0 7581 टोपीदार गन वैधता अवधि दिनांक 31.12.2016 को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट 6962 दिनांक 11.8.2017 के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध दर्ज प्रकरण सं0 47/12 धारा 452, 354, 504, 34 आईपीसी मे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.7.2012 को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त करने तथा मुक0 नं0 124/15 धारा 341, 323, 325, 34 आईपीसी मे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 9.9.2016 को राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त करने से तत्काल प्रभाव से जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/2017/3003–7 दिनांक 10.10.2017 से निलम्बित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण सं0 47/12 दर्ज होने से तत्काल प्रभाव से जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/2017/3003–7 दिनांक 10.10.2017 से निलम्बित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य कथन है कि प्रकरण 47/12 मे न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाकर बरी किया जा चुका है अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है अतः शस्त्र अनुज्ञापत्र निलम्बन से बहाल कर आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। अपीलार्थी द्वारा यद्यपि अपने कथन के समर्थन मे अपील मे कोई दस्तावेज पेश नही किये है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अंतिम निर्णय न होकर अंतरिम आदेश है ऐसी स्थिति मे सहज न्याय की दृष्टि से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ रिमांड किया जाता है कि जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध 2 आपराधिक प्रकरण मुक0 नं0 124/15 व 47/12 दर्ज हुये है। मुक0 सं0 47/12 मे निर्णय नही होने से अपीलांट द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र को निलम्बित किया गया था । प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट द्वारा उक्त प्रकरणों का माननीय न्यायालय से निर्णय होने का कथन किया है। अतः उक्त प्रकरणों मे हुये निर्णय सहित अन्य समस्त तथ्यों तथा अपीलार्थी की स्थिति, शस्त्र की सद्भावी आवश्यकता इत्यादि पर गहनतापूर्वक विचार कर अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये निर्णय पारित करे।

7 निर्णय आज दिनांक 6.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त कोटा। कोटा